तारीख हुक्म	अन्तिम निर्णय हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25.1.22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्राथमिक बंटवारा रिपोर्ट TPR इन्दरगढ़ से उभयपक्ष अधिवक्ता सहमत। जी. मुताबिक प्राथमिक बंटवारा रिपोर्ट के वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1192, 1193, 1194, 1202, 1203, 1204, 1224 कुल खसरा किता-7 योग रकबा 9.90 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम हगारिया तहसील इन्दरगढ़ स्थित कृषि भूमि में वादी शम्भुसिंह के हिस्से में खसरा सं. 1192 रकबा 1.18 हैक्टेयर में से 1.10 हैक्टेयर व खसरा सं. 1193 रकबा 1.17 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल खसरा किता दो कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी। शेष कृषि भूमि ख.सं. 1192/1 में 0.08 हैक्टेयर ख.सं. 1194 रकबा 0.84 है. ख.सं. 1202 रकबा 1.00 हैक्टेयर ख.सं. 1203 रकबा 1.56 हैक्टेयर ख.सं. 1204 हैक्टेयर (रकबा 3.00 हैक्टेयर) ख.सं. 1224 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल खसरा किता 6 योग रकबा 6.82 हैक्टेयर वाके ग्राम हगारिया तहसील इन्दरगढ़ प्रार्थी सं. 1 अनारसिंह के हिस्से में रहेगी तदनुसार अन्तिम पर्ची डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

25 / दावा / 2019
दायरा दिनांक 04.06.2019

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1.शम्भू सिंह हाडा आ0 अनार सिंह जाति राजपूत निवासी ढगारिया तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0। वादी

बनाम

1. अनारसिंह आ0 धनसिंह जाति राजपूत निवासी ढगारिया तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. गिरीराजकवंर पत्नी तेजसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी चौथ का बरवाडा तहसील व जिला सवाई माधोपुर राज0।
3. कमलेश सिहं हाडा आ0 अनारसिंह जाति राजपूत निवासी ढगारिया तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 हाल निवासी जे0के लक्ष्मी सीमेन्ट जिला सिरोही।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 89, 89 एवं 53 आर0टी0एक्ट।
उपस्थित :– 1.एडवोकेट सुरेश कुमार वर्मा
2.एडवोकेट राजेन्द्र जैन

दिनांकः–09.12.2021

–: निर्णय :–

वादी द्वारा वादपत्र पेश कर कथन किया कि ख0नं0 1192 रकबा 1.18 हैक्ट0, ख0नं0 1193 रकबा 1.17 हैक्ट0, ख0नं0 1194 रकबा 0.84 हैक्ट0, ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

1202 रकबा 1.00 हैक्ट0, ख0 नं0 1203 रकबा 1.56 हैक्ट0 ख0नं0 1204 रकबा 3.00 हैक्ट0, ख0नं0 1229 रकबा 0.34 हैक्ट0 किता 7 कुल रकबा 9.09 हैक्ट0 ग्राम ढगारिया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है।वाद पत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होने के आधार पर वादी इस आराजी का कानूनी रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार है और उसी रूप में राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज कराने एवं भूमि का बटंवारा कराने का भी अधिकारी है।वादी ने प्रतिवादी से समय समय पर निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी का नियमानुसार बंटवारा करवाकर वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार राजस्व रिकार्ड में अकिंत करा देवे।वादी द्वारा समय समय पर अपने इस अधिकार को प्रतिवादी अनारसिंह को प्रकट किया।वादी वाद वर्णित आराजी का 1/4 हिस्से के कानूनी खातेदार है।प्रतिवादी संख्या 1 को सम्पूर्ण आराजी बेचान करने का अधिकार नही है।प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण आराजी बेचान कर दिये जाने पर वादी के अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते है उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषणा कराने, राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने 1/4 हिस्से के अनुसार बंटवारा कराने और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।और अन्त में निवेदन किया गया कि वाद वर्णित आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है।प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक आवश्यक पक्षकार है। क्योकि वाद वर्णित भूमि का उक्त बैंक के पक्ष में रहन है।बैंक को पक्षकार नही बनाये जाने से वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 02.12.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर वादी को हिस्सा 1/4 पर खातेदार घोषित किया जाकर बंटवारा डिक्री पारित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वादी द्वारा हिस्सा 1/4 अनुसार बैंक ऋण जमा कराया जाएगा।वादी ने यह भी कथन किया कि हिस्सा 1/4 का बैंक ऋण बैंक में जमा कराने पर ही अन्तिम डिक्री का निष्पादन वादी द्वारा कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे।प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को हिस्सा 1/4 पर खातेदार घोषित किये जाने पर सहमति जाहिर की गई।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है।वाद वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण पुत्र को अपने हिस्से अनुसार पैतृक सम्पति लेने का कानूनन अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हिस्से अनुसार वादी को हिस्सा 1/4 का कृषक खातेदार घोषित किये जाने की सहमति दी गई। अतः वादी का वादपत्र कानूनन एवं सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी ख0नं0 1192 रकबा 1.18 हैक्ट0, ख0नं0 1193 रकबा 1.17 हैक्ट0, ख0नं0 1194 रकबा 0.84 हैक्ट0, ख0नं0 1202 रकबा 1.00 हैक्ट0, ख0 नं0 1203 रकबा 1.56 हैक्ट0 ख0नं0 1204 रकबा 3.00 हैक्ट0, ख0नं0 1229 रकबा 0.34 हैक्ट0 किता 7 कुल रकबा 9.09 हैक्ट0 वाके ग्राम ढगारिया तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि में वादी को हिस्सा 1/4 का कृषक खातेदार घोषित किया जाता है। वादी का हिस्सा 1/4 भाग का विधिवत बंटवारा किये जाने बाबत तहसीलदार इन्द्रगढ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वे रास्ते का निर्धारण करते हुये राजस्व मण्डल बंटवारा नियम (18–21) के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये धारा 53 के तहत बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश में दर्शाते हुये दिनांक 18.01.2022 से पूर्व न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे। बंटवारा कमिश्नर फीस 500/रूपये निर्धारित की जाती है जो वक्त बंटवारा वादी द्वारा अदा की जायेगी।तदनानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रा० ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नारखेरी

व इजलास श्री युगान्तर शर्मा RAS.

1 शम्भुसिंह हाडा पुत्र अनारसिंह जाति राजपूत निवासी दगारिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी — वादी

बनाम

1 अनारसिंह पुत्र घमसिंह जाति राजपूत निवासी दगारिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह — प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88, 89, 53 RTA

मुकदमा नम्बर 25/दावा/2019 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट व हाजिरी श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है कि आराजी ख.न. 1192, 1193, 1194, 1202, 1203, 1204, 1229 कुल खसरा किता-7 योग रकबा 9.09 हेक्टर वाके ग्राम दगारिया तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि में वादी को हिस्सा 1/4 का कृषक खातेदार घोषित किया जाता है। वादी का हिस्सा 1/4 भाग का विधिवत बटवारा किये जाने बाबत तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि रास्ते का निर्धारण करते हुए राजस्व मण्डल बटवारा नियम (18-21) के प्रावधानो को मद्देनजर रखते हुए धारा 53 के तहत बटवारा कर बटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दिनांक 18-1-2021 से पूर्व न्यायालय में पेश करने की व्यवस्था करे। बटवारा कमिश्नर फीस 500/- रु. निर्धारित की जाती है जो वादी स्वयं अदा की जावेगी।

निज ... बाबत ... खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9-12-2021 माह ... सन ... को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
नारखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

100 नकलो का मोल ज्यूडिशियल
स्टाम्प सलग्न

PD डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री सुशान्त शर्मा R.A.S.

1 शम्भुसिंह पुत्र अनारसिंह जाति राजपूत निवासी ठगारिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (वादी)

बनाम 1 अनारसिंह पुत्र धानसिंह जाति राजपूत निवासी ठगारिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी आदि वगैरह — प्रतिवादीगण

दावा बाबत 88, 89, 53 RTA

मुकदमा नम्बर 25/दावा/2019 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री राजेन्द्र जैन एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद आंशिक डिक्री किया जाता है। बटवारा कमीश्नर तहसीलदार इन्द्रगढ़ की प्राथमिक बटवारा रिपोर्ट के मुताबिक वाद वाटीत आराजी में से ख.न. 1192 रकबा 1.48 हैक्टर में से रकबा 1.10 हैक्टर ख.न 1193 रकबा 1.17 हैक्टर सम्पूर्ण किता दो योग रकबा 2.27 हैक्टर वाके ग्राम ठगारिया तहसील इन्द्रगढ़ स्थित कृषि भूमि वादी शम्भुसिंह के हिस्से में रहेगी। शेष कृषि भूमि ख.न. 1192/1 रकबा 0.08 हैक्टर ख.न 1202 रकबा 1.00 हैक्टर ख.न. 1194 रकबा 0.84 हैक्टर बाबत खर्चा इन निज मुबलिग फीसदी सालाना आज की तारीख मुकद्दमें के मय सूद बशरंह से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 1 - 2023 सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॊन		
5. खर्चा गवाहॊन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. गिरीराज कंवर पत्नी तेजसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी चौथ का बरवाड़ा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर.

3. कमलेश सिंह हाडा पुत्र अनारसिंह जाति राजपूत निवासी दगारिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी.

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी.

---प्रतिवादीगण---

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

अज अदालत उपखण्ड...
व इजलास श्री ...

2. गिरीराजकंवर पत्नी तेजसिंह राजावत जाति राजपूत निवा
चौथ का बरवाडा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर.

3. कमलेश सिंह पुत्र आ० अनारसिंह जाति राजपूत निवासी
ग्यारसिया तहसील इन्द्रगढ़

4. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार इन्द्रगढ़-बून्दी.

प्रत्यर्थीगण.

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी